

11 $\frac{07}{19}$ पी. ओ. साहब अकबर / स्थानान्तरण / क्षमण
पर होने से दिनांक 02-08-19 को पेश हो। Ram

02 $\frac{08}{19}$ अधिवक्ताजी ने क्षमण / स्थानान्तरण / क्षमण
गलत दिनांक - 26.09.19 को पेश हो। Ram

26 $\frac{09}{19}$ पी. ओ. साहब अकबर / स्थानान्तरण / क्षमण
पर होने से दिनांक 17-10-19 को पेश हो। Ram

17 $\frac{10}{19}$ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने पूर्व में
जवाब प्रा. पत्र पेश किया जा चुका है। प्रतिपही
संख्या 03 ता 05 के समन बाहू शामिल प्राप्त।
प्रतिवादी संख्या 02 की अदमू शामिल प्राप्त। वास्तव
बदल हेतु पत्रावली दिनांक 8-11-19 को पेश हो।

8 $\frac{11}{19}$ पी. ओ. साहब अकबर / स्थानान्तरण / क्षमण
पर होने से दिनांक 14.11.19 को पेश हो। Ram

14 $\frac{11}{19}$ पी. ओ. साहब अकबर / स्थानान्तरण / क्षमण
पर होने से दिनांक 27.11.19 को पेश हो। Ram

27 $\frac{11}{19}$ पी. ओ. साहब अकबर / स्थानान्तरण / क्षमण
पर होने से दिनांक 3-1-20 को पेश हो। Ram

08 $\frac{01}{20}$ पी. ओ. साहब अकबर / स्थानान्तरण / क्षमण
पर होने से दिनांक 23-01-20 को पेश हो। Ram

23 $\frac{01}{20}$ पी. ओ. साहब अकबर / स्थानान्तरण / क्षमण
पर होने से दिनांक 06-02-20 को पेश हो। Ram

06 $\frac{02}{20}$ पत्रावली पेश हुई। मूल बाहू में प्रा. पत्र 07 R. 11 स्वीकार
किया जा चुका है। इस कारण प्रस्तुत प्रा. पत्र अस्थायी
निषेधाज्ञा मूल बाहू का निस्तारण होने से खारिज किया
जाता है। पत्रावली निर्दिष्ट शुमार होकर दाखिल दफ्तर
हो।

उप खण्ड अधिकारी

पीपलू (टॉक)